राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

अपील संख्या :– 4033/2025

श्रीमति कमलेश कुमारी **–अपीलार्थी**

बनाम

1. प्रमुख शासन सचिव, शिक्षा, शासन सचिवालय, जयपुर।
2. निदेशालय, राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग, जयपुर।
3. निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा, बीकानेर।
4. जिला शिक्षा अधिकारी, प्रारम्भिक शिक्षा, खैरथल–तिजारा, जिला खैरथल–तिजारा।
5. पंचायत, प्रारम्भिक शिक्षा अधिकारी, राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, नूरनगर, पंचायत समिति, किशनगढ़बास, खैरथल–तिजारा।
6. निदेशक, पेंशन एवं पेंशनर्स कल्याण विभाग, ज्योति नगर, जयपुर।

–प्रत्यर्थीगण

प्रस्तुतिकरण की दिनांक : 26.08.2025
आदेश की दिनांक : 28.08.2025

उपस्थित –
अपीलार्थी की ओर से : श्री सुनील कुमार सिंगोदिया, अभिभाषक

समक्ष :– चेतन राम देवड़ा, सदस्य
लेखराज तोसावड़ा, सदस्य

आदेश

1. मामले की आवश्यक प्रकृति को देखते हुए राजस्थान सिविल सेवा (सेवा मामलों के लिए अपील अधिकरण) अधिनियम, 1976 की धारा 4ए के उपबन्ध में शिथिलिता प्रदान करते हुए उक्त अपील की सुनवाई की गई।

2. अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता कथन है यह कि अपीलार्थी अध्यापक ग्रेड–III लेवल–II, सामाजिक अध्ययन के पद से राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय, कुलताजपुर, किशनगढ़बास जिला खैरथल–तिजारा से प्रत्यर्थी विभाग के आदेश दिनांक 04.12.2024 (अनुलग्नक–3) के द्वारा दिनांक 30.06.2025 को सेवानिवृत हो चुका है। प्रत्यर्थी विभाग के आदेश दिनांक 26.06.2025 (अनुलग्नक–1) के द्वारा अपीलार्थी को पेंशन विभाग द्वारा उठाई गई त्रुटियों को दूर करने और एनपीएस से अंशदान राशि जमा करने के संबंध में एसआईपीएफ द्वारा जारी प्रमाण पत्र अपलोड करने का निर्देश दिया गया कि आपत्तियों निराकरण की स्थिति में अपीलार्थी का पेंशन मामला निपटा दिया जाएगा। अपीलार्थी ने दिनांक 27.06.2025 (अनुलग्नक–2) के द्वारा जवाब प्रस्तुत कर उल्लेख किया अपीलार्थी के एनपीएस खाते में 28,00,000/– रूपये की राशि पड़ी है और अपीलार्थी नकद चालान के माध्यम से 50 प्रतिशत राशि जमा करने में सक्षम नहीं है और उसने उक्त राशि को समायोजित/कटौती करके उसके पेंशन मामले का निपटारा करने का अनुरोध किया। अपीलार्थी भविष्य निधि विभाग का सदस्य है तथा भविष्य निधि में अंशदान मार्च, 2025 तक काटा जा रहा है। राज्य सरकार के परिपत्र दिनांक 01.01.2004 को या उसके बाद नियुक्त राज्य सरकार के कर्मचारियों पर

01.04.2022 से एनपीएस के स्थान पर पुरानी पेंशन योजना (ओपीएस) लागू की है। वित्त विभाग के परिपत्र दिनांक 27.01.2025 (अनुलग्नक–4) के माध्यम से राज्य बीमा और भविष्य निधि विभाग ने ओपीएस योजना के सुचारू कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए दिशा–निर्देश जारी किये है। परिपत्र के बिन्दु संख्या 3 के अनुसार दिनांक 01.04.2022 को या उसके बाद सेवानिवृत होने वाले कर्मचारी ओपीएस का लाभ पाने के हकदार होंगे और यह स्पष्ट किया गया है कि सेवानिवृत कर्मचारियों की सकल समेकित पेंशन राशि राज्य सरकार के राजस्व शीर्ष में जमा की जानी है, लेकिन पेंशन फंड नियामक विकास प्राधिकरण ने उक्त राशि को उपर्युक्त शीर्ष में राज्य सरकार के पास जमा नहीं किया है। राज्य सरकार की अधिसूचना दिनांक 19.05.2022 के अनुसार स्व–योगदान राशि की गणना की जाएगी और पीआरएएन खाते में जमा सकल कोष राशि से कटौती की जाएगी और इस आरपीएमएफ/आरजीएचएस में समायोजित किया जाएगा और पूर्व निकासी राशि यदि कोई हो, के साथ समायोजित किया जाएगा और जीपीएफ राशि की गणना समायोजन से पहले प्रचलित ब्याज दर के अनुसार की जाएगी। बिंदु संख्या 6 ग्रेच्युटी और विशेषाधिकार प्राप्त अवकाश के नकदीकरण से संबंधित है और इसमें प्रावधान है कि यदि पेंशन विभाग द्वारा कर्मचारी के पक्ष में भुगतान नहीं किया जाता है, तो दावा प्रस्तुत करते समय वितरण प्राधिकारी को इस आशय का सहमति पत्र प्राप्त होगा कि कर्मचारी के पक्ष में ग्रेच्युटी, कम्यूटेशन और अवकाश नकदीकरण के लिए देय राशि को एनपीएस राशि में समायोजित किया जाएगा। उनका कथन है कि अंशदायी भविष्य निधि पासबुक के अनुसार, अपीलार्थी ने राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय, रैनागिरी, अलवर में दिनांक 09.05.2005 को कार्यग्रहण किया और मई, 2005 से सीपीएफ की कटौती की जा रही है। प्रत्यर्थी विभाग के पत्र दिनांक 28.04.2025 (अनुलग्नक–5) के द्वारा अपीलार्थी के पेंशन मामले के निपटारे और लेखा–कर्मी प्रमाणपत्र जारी करने हेतु संबंधित सूचना प्रेषित की। अपीलार्थी ने दिनांक 26.05.2025 (अनुलग्नक–6) के द्वारा विभाग में ऑनलाईन जीपीएफ अंतिम भुगतान आवेदन प्रस्तुत किया। जिसमें सभी प्रासंगिक विवरण दिए गए थे ओर उक्त आवेदन में क्षतिपूर्ति बांड भी शामिल था। जिसका आधार ओटीपी द्वारा सत्यापन किया गया है। प्रत्यर्थी विभाग द्वारा अपीलार्थी को ओपीएस का लाभ न देने और एनपीएस खाते से 50 प्रतिशत राशि नकद चालान के माध्यम से जमा न करने के कारण पेंशन लाभ जारी न करने का कदम न केवल मानमाना है, बल्कि विधि के प्रावधानों के भी विरूद्ध है। अतः अपील अपीलार्थी स्वीकार फरमाई जाकर प्रत्यर्थी विभाग द्वारा एनपीएस खाते में 50 प्रतिशत राशि जमा नहीं करने के आधार पर पेंशन/सेवानिवृति लाभ रोके गए है, इसको अवैध मनमाना माना जावे और प्रत्यर्थी विभाग को अपीलार्थी के खाते में पड़ी 50 प्रतिशत राशि की कटौती करने के बाद ओपीएस योजना के तहत मासिक पेंशन सहित सभी सेवानिवृति/पेंशन लाभ जारी

करने का निर्देश दिया जाये तथा इसके अलावा प्रत्यर्थी विभाग को संशोधित वेतनमान नियमों के अनुसार पेंश को संशोधित करने और उसे ब्याज सहित जारी करने का निर्देश दिया जाए। वैकल्पिक रूप से प्रत्यर्थी को दिनांक 26.06.2025 के आदेश के अनुसरण में अपीलार्थी द्वारा दिनांक 27.06.2025 को प्रस्तुत आवेदन पर विचार करने का निर्देश दिया जावे।

3. हमने अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता को अपील की ग्राह्यता एवं स्थगन प्रार्थना–पत्र पर सुना तथा पत्रावली पर उपलब्ध तमाम अभिलेख का अनुशीलन कर मनन किया।

4. बहस के दौरान अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता द्वारा यह अनुरोध किया गया कि अपीलार्थी द्वारा प्रत्यर्थी विभाग के समक्ष अपना अभ्यावेदन प्रस्तुत करने पर प्रत्यर्थी विभाग द्वारा नियमानुसार अभ्यावेदन का निस्तारण करने के आदेश प्रदान करने का अनुरोध किया गया। प्रत्येक कार्मिक को यह अधिकार प्राप्त है कि वह सेवा संबंधी अभाव अभियोग निवारण हेतु अपने नियोक्ता को अभ्यावेदन प्रस्तुत करें।

5. अतः प्रस्तुत अपील के तथ्यों के संबंध में गुणावगुण पर विचार नहीं करते हुए, अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता के अनुरोध को दृष्टिगत रखते हुए न्यायहित में यह आदेश दिया जाता है कि अपीलार्थी 2 सप्ताह की अवधि में विभाग के सक्षम प्राधिकारी को अपनी अपील में वर्णित आधारों पर एक अभ्यावेदन प्रस्तुत करे। सक्षम प्राधिकारी को यह निर्देश दिये जाते है कि वह पूर्वोक्त आशय का अभ्यावेदन प्राप्त होने पर उसे राज्य सरकार व विभाग के दिशा–निर्देशों/परिपत्रों/नियमों के परिप्रेक्ष्य में आगामी 4 सप्ताह की अवधि में एक आख्यात्मक आदेश (Speaking Order) प्रसारित कर निस्तारित करे और ऐसे निस्तारण की सम्यक् सूचना अपीलार्थी को दे।

6. अतः उक्त अपील, मय स्थगन प्रार्थना पत्र, ग्राह्यता के प्रक्रम पर ही उपर्युक्त निर्देश के साथ अन्तिम रूप से निस्तारित की जाती है।

(लेखराज तोसावड़ा)
सदस्य

(चेतन राम देवड़ा)
सदस्य